

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, जनपद – मऊ

उपस्थित: बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398



UPMA010053812024

फौजदारी निगरानी संख्या: 320/2024

श्यामा देवी बजरिये मुख्तारे आम-राजीव कुमार पुत्र रामवृक्ष उम्र लग० 88 वर्ष पत्नी स्व० रामवृक्ष साकिन- मुहल्ला-सहादतपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद- मऊ।

.....आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

1. जयप्रकाश राय उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र स्व. रामबदन राय
2. नवीन कुमार राय उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र जयप्रकाश राय
निवासीगण- मकान सं. 197 निकट रोड़वेज सहादतपुरा, थाना- कोतवाली नगर,
जनपद मऊ।
3. उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण विद्वान नगर मजिस्ट्रेट, जनपद-मऊ द्वारा वाद संख्या- 571/2023 जयप्रकाश राय बनाम श्यामा देवी आदि में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 17.09.2024 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसमें निगरानीकर्ता को धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जर्जर भवन को खाली किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2. संक्षेप में वह तथ्य जिसके आधार पर प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण योजित की गयी है, वह इस प्रकार है कि विपक्षी सं. 1 जयप्रकाश राय द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस कथन के साथ दाखिल किया गया कि वह भवन सं. 197 निकट रोड़वेज सहादतपुरा, मऊ का मूल मालिक है। उक्त मकान काफी जर्जर हो चुका है व कभी भी गिर सकता है जिस कारण जन हानि होने की प्रबल संभावना है। उक्त मकान में विपक्षी सं. 1 लगायत 3 दुकान के रूप में कायम चले आ रहे हैं। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा कई बार अवगत कराये जाने के पश्चात् भी वे दुकान खाली करने को तैयार नहीं हैं। यदि इस बीच दुकान व मकान गिरती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की नहीं होगी बल्कि विपक्षीगण की होगी। इसके पूर्व प्रार्थी द्वारा मकान की जांच अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, फायर ब्रिगेड व स्वयं नगरपालिका से करवाया व विडियोग्राफी भी करवाई जिसमें उनके द्वारा भी उक्त मकान गिरने की संभावना व्यक्त की गयी है। उक्त मकान सड़क से लगा हुआ है तथा तीन तरफ गलियारा है जिसमें मुहल्ले के एवं बाहरी लोग आते-जाते हैं। उक्त को देखते हुए प्रश्रुत मकान से विपक्षीगण को बेदखल/खाली कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी सं. 1/प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में सशर्त

आदेश दिनांकित 02.03.2023 अंतर्गत धारा 133(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता पारित करते हुए निगरानीकर्ता श्यामा देवी को कथित मकान खाली किये जाने की अपेक्षा की गयी।

4. विपक्षीगण जयप्रकाश राय व नवीन कुमार राय द्वारा जवाबदेही दाखिल कर यह कथन किया गया कि मकान सं. 197 स्थित मुहल्ला सहादतपुरा, मऊ में प्रथम पक्ष द्वारा रहायशी होटल का नियमित व्यवसाय किया जा रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा दो वर्ष के अंदर ही उक्त मकान सं. 197 के द्वितीय तल पर दो कमरों का निर्माण कराया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष का यह कहना सरासर गलत है कि उक्त भवन कभी भी गिर सकता है। द्वितीय पक्षगण उक्त मकान में स्थित दुकान में काफी वर्षों से किरायेदार हैं जिसके संबंध में किरायेदारी का वाद विचाराधीन है। उक्त आधारों पर विपक्षीगण द्वारा धारा 133(1) दं.प्र.सं. दिनांकित 02.03.2023 निरस्त करने की याचना की गयी।

5. विद्वान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांकित 17.09.2024 पारित करते हुए दिनांक 02.03.2023 को निर्गत सशर्त आदेश को अंतिम रूप से स्थायी करते हुए निगरानीकर्ता श्यामा देवी को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल जर्जर भव को खाली कर दे एवं प्रार्थी जयप्रकाश राय को निर्देशित किया गया कि वह खाली मकान को धारा 133 दं.प्र.सं. में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 17.09.2024 के विरुद्ध यह दाण्डिक पुनरीक्षण निगरानीकर्ता श्यामा देवी द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर योजित की गयी है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2024 को विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश भवन सं. 197 स्थित मुहल्ला-रोडवेज सहादतपुरा, मऊ से संबंधित है तथा विपक्षी जयप्रकाश राय असल मकान मालिक के भवन का पश्चातवर्ती क्रेता है। निगरानीकर्ता असल लैण्डलार्ड भवन स्वामी के अधीन किरायेदार है। पूर्व भवन स्वामी तथा निगरानीकर्ता के बीच एक किरायेदार का वाद, वाद सं. 19/2015 न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सदर, मऊ में विचाराधीन है। दूसरा वाद न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सदर मऊ में वाद सं. 463/2014 श्यामा देवी बनाम प्रकाश किरायेदारी के भवन में स्थित दूसरा से विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल न करने का वाद प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। भवन के पूर्व विक्रेता प्रकाश राय द्वारा भवन के जर्जर होने के आधार पर कोई बेदखल की मांग नहीं की गयी है। समस्त कार्यवाही अंतर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. क्षेत्राधिकार रहित है। सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक न्यायालय द्वारा समान्तर कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती।

6. उपर्युक्त कथन करते हुए प्रार्थना की गयी है कि निगरानीकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार कर विद्वान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.09.2024 निरस्त करने की कृपा की जाये।

7. विपक्षी सं. 1 जयप्रकाश राय की ओर से उपर्युक्त अभिकथित आधारों के विरुद्ध आपत्ति कागज सं. 12 ख 1 दाखिल कर यह कथन किया गया है कि कथित मकान सं. 197 स्थित मुहल्ला रोडवेज सहादतपुरा मऊ उसके मालिक काबिज प्रकाश राय से जरिए बैनामा हासिल किया। चूंकि उक्त मकान काफी जर्जर हो चुका है अतः उसे गिराकर उसका मरम्मत कराया जाना आवश्यक है। इस मकान के प्रथम तल एवं द्वितीय तल की आर.बी. स्लैब है जो टूट कर गिर रहा है। अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार भी उक्त भवन को ध्वस्त/मरम्मत

कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आधार पर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

8. बहस के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 17.09.2024 विधिपूर्ण है जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाना विधि संगत होगा।

9. अपील के स्तर पर विपक्षी की ओर से कथित भवन की रंगीन फोटोग्राफ्स दाखिल किये गये हैं।

10. निगरानीकर्ता की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में अधोलिखित विधि व्यवस्थाओं को संदर्भित किया गया है:- 1. M/S Hindustan Glue and Ziletin Factory, Hapur Vs. State of U.P. [1998 (36) ACC 251], 2. Darbari Lal Vs. Ivth Addl. District Judge Etawah and Ors. [1998(36) ACC 266], 3. Shiv Charan Vs. Babu Singh [1975(12) ACC 11].

11. उभय पक्ष के के विद्वान अधिवक्तागण एवं विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना जा चुका है। आहूत पत्रावली एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया। इस न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित विधि व्यवस्थाओं का भी परिशीलन किया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी सं. 1 जयप्रकाश राय द्वारा अपने जर्जर मकान के ध्वस्तीकरण/मरम्मत हेतु खाली कराये जाने के बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर विद्वान नगर मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा 02.03.2023 को नोटिस जारी करते हुए अपना आक्षेपित आदेश दिनांकित 17.09.2024 पारित कर विपक्षीगण को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल विपक्षी सं. 1 के जर्जर मकान को खाली करा दें। इसके साथ ही विद्वान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा विपक्षी सं. 1 को यह भी निर्देशित किया गया कि वे जर्जर मकान के बाबत धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

13. जहां निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आपेक्षित आदेश को तथ्य एवं विधि के विरुद्ध होने का तर्क देते हुए उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है, वहीं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रबल विरोध करते हुये कहा गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है, उसमे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त की जाय।

14. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विरोध है कि विपक्षी सं. 1 कथित भवन के मालिक व निगरानीकर्ता उस भवन में स्थित दुकान की किरायेदार है। इस अनुक्रम में बहस के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से प्रस्तुत पुनरीक्षण पत्रक के प्रस्तर 3 की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें इस आशय का अभिकथन किया गया है कि आक्षेपित आदेश भवन सं. 197 स्थित मुहल्ला-रोडवेज सहादतपुरा, मऊ के विपक्षी जयप्रकाश राय असल मकान मालिक के भवन का पश्चातवर्ती क्रेता है। पूर्व भवन स्वामी तथा निगरानीकर्ता के बीच एक किरायेदार का वाद, वाद सं. 19/2015 न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सदर, मऊ में

विचाराधीन है। दूसरा वाद न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सदर मऊ में वाद सं. 463/2014 श्यामा देवी बनाम प्रकाश किरायेदारी के भवन में स्थित दूसरा से विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल न करने का वाद प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। समस्त कार्यवाही अंतर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. क्षेत्राधिकार रहित है। सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक न्यायालय द्वारा समान्तर कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती।

15. निगरानीकर्ता के उपर्युक्त तर्कों के संदर्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 (घ) का उल्लेख किया जाना समीचीन है जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भवन, तम्बू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाये और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है। जहां तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कथित मकान के संबंध में किरायेदारी से संबंधित सिविल वाद लंबित करने के कारण प्रशासनिक न्यायालय द्वारा समान्तर कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस संबंध में यह प्रावधानित किया गया है कि है कि धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही सिविल न्यायालय की कार्यवाही अथवा उत्तर प्रदेश अरबन बिल्डिंग (रेग्यूलेशन आफ लेटिंग एण्ड इविकशन एक्ट) 1972 के अधीन कार्यवाही से स्वतंत्र है। धारा 133 के अधीन कार्यवाही के लिए यह कोई वर्जन नहीं है कि आवेदक ने पहले से सिविल वाद दायर कर रखा है अथवा सिविल न्यायालय से अस्थायी व्यादेश ले रखा है अथवा विरोधी पक्षकार द्वारा उक्त एक्ट, 1972 के अधीन भवन गिराने के लिए बेदखली का मुकदमा दायर कर रखा है।

16. विद्वान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश पारित किये जाने के पूर्व धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए धारा 133(1) के अंतर्गत पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया है। विद्वान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश पारित किये जाने के पूर्व सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र, मऊ एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मऊ से कथित भवन की स्थिति के बाबत आख्या आहुत की गयी थी जिसमें उपर्युक्त द्वारा मौके का सर्वे व निरीक्षण कर इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि कथित भवन जर्जर अवस्था में है तथा रहने योग्य नहीं है। उक्त आख्या में यह भी वर्णित किया गया कि कथित मकान शहर के बीचों-बीच एवं काफी भीड़-भाड़ इलाके में स्थित है जो जर्जर अवस्था में होने के कारण कभी भी गिर सकता है। विपक्षी सं. 1 द्वारा कथित मकान की रंगीन फोटोग्राफ्स भी दाखिल किये गये हैं जिसके अवलोकन से भी प्रथम दृष्ट्या कथित मकान जर्जर व कमजोर प्रतीत होता है।

17. निगरानीकर्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भवन के पूर्व मालिक द्वारा कभी भी भवन की मरम्मत हेतु मकान खाली करने का अनुरोध नहीं किया गया। विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपनी आपत्ति में यह भी कथन किया गया है कि भवन के स्वामी द्वारा दो वर्ष पूर्व की दूसरे तल का निर्माण किया गया है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि भवन जर्जर नहीं है।

18. धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध किसी किरायेदार द्वारा प्रस्तुत चुनौती निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि उक्त प्रावधान का उद्देश्य किसी निजी अधिकार का निर्धारण करना नहीं बल्कि ऐसे आसन्न सार्वजनिक खतरे अथवा लोक उपद्रव को तत्काल समाप्त करना है जिससे जनसाधारण के जीवन, स्वास्थ्य एवं संपत्ति को क्षति पहुँचने की वास्तविक संभावना हो; जब सक्षम सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अनेक अभियन्ताओं, तकनीकी विशेषज्ञों अथवा नगर निकाय के अभियान्त्रिक अधिकारियों की स्वतंत्र आख्या प्राप्त कर यह संतोष दर्ज किया गया हो कि विवादित भवन अत्यंत जर्जर, क्षतिग्रस्त एवं किसी भी समय धराशायी होने की स्थिति में है तथा वह सार्वजनिक मार्ग, पड़ोसी संपत्तियों अथवा आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है, तब ऐसे तकनीकी निष्कर्षों को केवल किरायेदार की मौखिक अथवा स्वार्थपरक आपत्तियों के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भवन की संरचनात्मक स्थिरता एक विशुद्ध तकनीकी विषय है जिसमें विशेषज्ञ राय को सर्वोच्च महत्व प्राप्त होता है। यह भी स्थापित विधि सिद्धांत है कि किरायेदार का अधिकार भवन के सुरक्षित उपयोग तक सीमित होता है और कोई भी व्यक्ति संविधान अथवा विधि के अंतर्गत ऐसे भवन में बने रहने का अधिकार दावा नहीं कर सकता जो जनसुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष संकट बन चुका हो। अतः निजी व्यावसायिक असुविधा, किरायेदारी हित अथवा आर्थिक हानि को सार्वजनिक सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा से ऊपर नहीं रखा जा सकता, विशेष रूप से तब जबकि आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस देकर आपत्ति आमंत्रित की गयी हो, पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया गया हो तथा उसके पश्चात कारणयुक्त आदेश पारित किया गया हो, तब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण पालन माना जाएगा और केवल इस आधार पर कि याची आदेश से असहमत है, न्यायिक हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होता। इसके अतिरिक्त धारा 133 की कार्यवाही निवारक एवं त्वरित प्रकृति की होती है जिसका उद्देश्य दुर्घटना घटित होने की प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि संभावित जनहानि को पहले ही रोकना है। इसलिए यदि प्रशासन विश्वसनीय तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि भवन कभी भी गिर सकता है, तो न्यायालय सामान्यतः ऐसे प्रशासनिक संतोष में हस्तक्षेप नहीं करता, विशेषकर तब जबकि याची द्वारा कोई समकक्ष तकनीकी रिपोर्ट अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत न किया गया हो जिससे अभियन्ताओं की रिपोर्टों को त्रुटिपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या मनमाना सिद्ध किया जा सके। अतः यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश लोकहित, जनसुरक्षा, तकनीकी विशेषज्ञता एवं वैधानिक अधिकारिता पर आधारित एक विधिसम्मत निवारक आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न केवल विधि के प्रतिकूल होगा बल्कि संभावित जनहानि को आमंत्रित करने के समान भी होगा, इसलिए किरायेदार की चुनौती निराधार एवं अस्वीकार्य मानते हुए निरस्त किये जाने योग्य है।

19. जहां तक पुनरीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, इस संबंध में **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 SCC 460 (पैरा 12,13,18 व 20)** में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का अभिनिर्धारण किया गया है कि— धारा 397 Cr.P.C. के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (revisional jurisdiction) तब प्रयोग किया जा सकता है, जब चुनौती दी गई निर्णय अत्यधिक गलत (grossly erroneous) हों, कानून के प्रावधानों का पालन न किया गया हो, उल्लिखित किया गया विश्लेषण (finding) किसी साक्ष्य पर आधारित न हो, महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया हो या न्यायिक विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या विकृत रूप से किया

गया हो आदि। यह भी माना गया है कि उच्चाधिकार न्यायालयों का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है और इसे सामान्य या रूटीन तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता।

20. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आपेक्षित आदेश दिनांकित 17.09.2024 में धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आपेक्षित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती जिससे उक्त आदेश अपास्त किया जा सके।

21. उपर्युक्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त विधि-व्यवस्था के आलोक में यह विनिश्चित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय को पारित करने में कोई क्षेत्राधिकारी संबंधी त्रुटि, अनियमिताएं एवं अवैधानिकता कारित किया जाना परिलक्षित न होने के नाते निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्वीकार योग्य न पाते हुये निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त सम्प्रेक्षण के आलोक में प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त की जाती है। विद्वान नगर मजिस्ट्रेट, जनपद-मऊ द्वारा वाद संख्या-571/2023 जयप्रकाश राय बनाम श्यामा देवी आदि में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 17.09.2024 पुष्ट किया जाता है।

आहूत पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रतिप्रेषित हो।

[बाकर शमीम रिज़वी]

दिनांक- 04.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 1 जनपद-मऊ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

[बाकर शमीम रिज़वी]

दिनांक- 04.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 1 जनपद-मऊ।